कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला–सिवनी

नगर पालिका चौराहा, एन.एच.7 मार्ग, जिला–सिवनी (म.प्र.) 480661

Email Id : cmoseoni@mpurban.gov.in Phone : 07692221301

पत्र कमांक / 3854 / ज.प्र. शाखा / न.पा.प / 2025 सिवनी, दिनांक 07/08 / 2025

// तृतीय बार – ई – निविदा आमंत्रण सूचना //

नगर पालिका परिषद सिवनी को एक वर्ष के लिए हेतु जलप्रदाय शाखा के अंतर्गत ब्लीचिंग पावडर एवं एलम सामग्रियों की समय – समय पर आवश्यकता है । अतः संबंधित सामग्री के निर्माता / डीलर से सामग्री की निविदायें ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है। टेंडर डाक्यूमेंट ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in/ में निर्धारित शुल्क भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा । निविदायें टेण्डर की निर्धारित तिथि (की – डेट) के अनुसार खोली जावेगी । निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

क्रं.	ई – टेण्डर कं.	सामग्री का नाम एवं विवरण	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा फार्म का मूल्य	ठेकेदार / सप्लायर्स की श्रेणी	निविदा की अंतिम तिथि
01	2025_ UAD_442896	वर्ष 2025 – 2026 के लिए ब्लीचिंग पावडर आई.एस.आई. मार्क 1 ग्रेड (ग्रासिम कंपनी मेक या अन्य प्रतिष्ठित कंपनी) IS 1070:1977 (1065:1989) फ्रेश स्टॉक 25 कि.ग्रा. पैकिंग Chlorine मिनिमम 34 प्रतिशत रहेगी ।	1266185.00	9496.00	2000.00	निर्माता / अधिकृत विक्रेता	25/08/25

नोट :– निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन www.mptenders.gov.in/बेबसाईट पर ही किया जावेगा । पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिवनी

शर्तें :–

1. निविदा प्रतियोगिता में सिर्फ सामग्री निर्माता / अधिकृत विक्रेता की ही दरें मान्य की जावेगी । गैर निर्माता फर्म / विक्रेता की निविदा दर स्वीकार दर स्वीकार नहीं की जावेगी ।
2. फर्म / कंपनी का Authorized/Subdealer जी.एस.टी. पंजीयन प्रति, आयकर रजिस्ट्रेशन प्रति (पेन) शपथ पत्र, फर्म रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. शासन द्वारा समय – समय पर निर्देशानुसार आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा ।
4. सामग्री समस्त करों सहित (टेक्स) (जी.एस.टी. वैट एवं अन्य सभी टेक्स केन्द्र एवं राज्य शासन के) एवं लोडिंग अनलोडिंग परिवहन आदि समस्त व्यय सहित दर नगर पालिका परिषद सिवनी के बंडोल फिल्टर प्लांट एवं बबरिया फिल्टर प्लांट में पहुंचाकर देना आवश्यक होगा ।
5. सामग्री का क्रय नगर पालिका अपनी आर्थिक स्थिति व आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर करेगी इसके लिये किसी प्रकार का कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
6. निकाय द्वारा सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण उपरांत ही भुगतान किया जावेगा ।
7. सामग्री के बिल में से नियमानुसार टेक्स की कटौती की जावेगी ।
8. निविदा स्वीकृत करने अथवा ना करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी नगर पालिका परिषद सिवनी के पास सुरक्षित रहेगा।
9. सामग्री वर्ष 01 वर्ष के लिए होगी । सामग्री समय – समय पर आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी, आवश्यकतानुसार ही सामग्री का प्रदाय आदेश दिया जावेगा ।
10. सामग्री आई.एस.आई. के मापदण्डों की होनी चाहिए । शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से सामग्री का परीक्षण कराया जाकर ही भुगतान कार्यवाही की जावेगी । गुणवत्तापूर्ण सामग्री न होने पर भुगतान की कार्यवाही नहीं की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी ।
11. किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर नगर पालिका परिषद सिवनी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य करना होगा ।
12. विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र उच्च न्यायालय जबलपुर होगा ।
13. निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित राशि के स्टॉम्प पेपंर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा ।

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला–सिवनी

नगर पालिका चौराहा, एन.एच.7 मार्ग, जिला–सिवनी (म.प्र.) 480661

Email Id : cmoseoni@mpurban.gov.in Phone : 07692221301

14. ई – निविदा उपरांत सफल निविदाकर को अनुबंध निष्पादन के पूर्व 5 प्रतिशत अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा । निर्धारित 05 प्रतिशत जमा अमानत राशि की वापसी एक वर्ष उपरांत वापिस की जावेगी ।
15. सभी सामग्री का गारंटर अवधि फर्म को देनी होगी । सामग्री में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर संबंधित को अपने स्वयं के व्यय पर सामग्री वापिस कर दूसरी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जिसका कोई व्यय निकाय द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
16. सफल निविदाकार द्वारा यदि सामग्री निर्धारित समय पर निकाय को उपलब्ध नहीं कराते है तो निकाय द्वारा सफल निविदाकार की दर निरस्त कर दी जाकर फर्म को काली सूची में नाम शामिल करने एवं अमानत राशि राजसात कर समस्त हर्जे खर्चे की बसूली फर्म की जावेगी ।
17. सफल निविदाकार द्वारा कार्यादेश की समय सीमा में सामग्री प्रदाय़ न कर सकने की स्थिति में निकाय द्वारा अनुबंधित शर्तो के अनुसार 10 प्रतिशत राशि देयक से कटौती किये जाने का अधिकार स्वतंत्र रहेगा ।
18. निविदाकार को ब्लेक लिस्टेड न होने का प्रमाण, शपथ पत्र में देना आवश्यक होगा ।
19. फर्म द्वारा सामग्री 07 दिवस के भीतर प्रदाय करने हेतु अनुबंध करेंगे, व साइट में सामग्री बबरिया फिल्टर प्लांट एवं बण्डोल फिल्टर प्लांट में प्रदाय करेंगे ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिवनी

पृष्ठा. क्रमांक / 3855 / ज.प्र. शाखा / न0पा0प0 / 2025 सिवनी, दिनांक 07/01/2025

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकांस, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4. अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
5. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
6. मैनेजर सिटी एसोसिएट, भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
7. संपादक ......देश बंधु समाचार...... समाचार पंत्र की ओर अपने समाचार पत्र में एक दिवस के लिये प्रकाशन हेतु प्रेषित । कृपया प्रकाशन उपरांत बिल के साथ समाचार पत्र की दो प्रति एवं शासन द्वारा स्वीकृत दर की सूची प्रस्तुत करें।
8. कार्यालय कलेक्टर / कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यां.वि. सिवनी / कार्यालय नगर पालिका परिषद सिवनी के सूचना पटल में चस्पा हेतु ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिवनी